संख्या-52/2016/339/22-2-2016-17(28)/2002

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 मई, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी राघिव अली पुत्र श्री हाजी जलील अहमद निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राघिव अली पुत्र श्री हाजी जलील अहमद, खुजनावर, थाना-फतेहपुर जनपद-सहारनपुर का निवासी है। लगभग 07 वर्ष पूर्व में हुयी सत्तार की हत्या के अभियोगी रमजान उर्फ साधू को मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.10.1978 को बस द्वारा गांव आते समय बस रोककर अलीबहादुर मो0 रमजान उर्फ साधू व फूल सिंह की पिस्तौल एवं बंदूक से गोली मारकर हत्या की तथा रमजान उर्फ साधू का तबल से सर काट कर अलग कर दिया एवं अपने साथ लेकर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा दिनांक 29.04.1980 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2015 तक 15 वर्ष 02 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 10 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण उत्तम है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 06 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राघिव अली पुत्र श्री हाजी जलील अहमद निवासी जनपद-सहारनपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राघिव अली (बन्दी संख्या-5958) पुत्र श्री हाजी जलील अहमद निवासी जनपद-सहारनपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक

http://shasanadesh.up.nic.in

विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-339/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-339/22-2-2015-17(28)/2002
दिनांक 10 मई, 2016 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी राघिव अली पुत्र श्री हाजी जलील अहमद, खुजनावर, थाना-फतेहपुर जनपद-सहारनपुर का निवासी है। लगभग 07 वर्ष पूर्व में हुयी सत्तार की हत्या के अभियोगी रमजान उर्फ साधू को मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.10.1978 को बस द्वारा गांव आते समय बस रोककर अलीबहादुर मो0 रमजान उर्फ साधू व फूल सिंह की पिस्तौल एवं बंदूक से गोली मारकर हत्या की तथा रमजान उर्फ साधू का तबल से सर काट कर अलग कर दिया एवं अपने साथ लेकर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा दिनांक 29.04.1980 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2015 तक 15 वर्ष 02 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 10 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण उत्तम है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 06 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राघिव अली पुत्र श्री हाजी जलील अहमद निवासी जनपद-सहारनपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in